298

संख्या–507/XXIV(1)/2012–36/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 30 जुलाई, 2012

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना/जिला परियोजना कार्यालयों में सृजित विशेषज्ञ, समन्वयक एवं सह समन्वयक के पदों के वेतनमान उच्चीकृत/पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–रा0प0का0/303/प्रबन्ध–01/2012–13, दिनांक 04.05.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय–समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों यथा शासनादेश संख्या–245/बे0शि0/2003 दिनांक 04.01.2003, शासनादेश संख्या–134/XXIV(1)/2005–26/2004 दिनांक 11.03.2005, शासनादेश संख्या–512/XXIV(1)/2006 दिनांक 24.06.2006 एवं शासनादेश संख्या–501/XXIV(1)/2005–24/2006 दिनांक 26.07.2006 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय/ जिला परियोजना कार्यालयों हेतु विशेषज्ञ के 10 पद, समन्वयकों के कुल 74 (राज्य परियोजना के 09 एवं जिला परियोजना कार्यालय के 65) एवं सह समन्वयक के 01 पद अर्थात कुल 85 पदों का सृजन किया गया है। छठें वेतन आयोग के द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या–74/XXIVII (7)/2009, दिनांक 01 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व सृजित पदों का वेतनमान निम्न तालिकानुसार उच्चीकृत/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. सं.	पदनाम, कुल सृजित पदों की संख्या	पूर्व सृजित शासनादेश में देय वेतनमान	पुनरीक्षणोपरान्त देय वेतनमान
01	विशेषज्ञ 10 (राज्य परियोजना कार्यालय हेतु)	रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 6600)	रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 7600)
02	समन्वयक 74 (09 राज्य परियोजना कार्यालय एवं 65 जिला परियोजना कार्यालय हेतु)	रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200)	रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4800)
03	सह समन्वयक 01 (राज्य परियोजना कार्यालय हेतु)	रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200)	रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600)

2. उक्त पदों पर चयन Pick & Chose के आधार पर न करते हुए पारदर्शी आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाय।

3. वेतनमान पुनरीक्षण के उपरान्त सृजित पदों पर मात्र शिक्षा विभाग के समान वेतनमान के पदधारकों को ही प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना होगा, जिन्हें नियमानुसार देय प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा परियोजना भत्ता, जो भी कम हो देय होगा।

4. यदि परियोजना में पूर्व सृजित पदों पर शिक्षकों/अधिकारियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर न किया गया हो तो अब उनके स्थान पर भी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए तैनाती की जाय तथा प्रतिनियुक्ति के लिये निर्धारित समयसीमा का भी पालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त पदों पर होने वाले व्यय भार अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–0104–सर्व शिक्षा अभियान (25 प्रतिशत राज्यांश)–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

6. अन्य सेवा शर्ते पूर्व में निर्गत शासनादेशानुसार यथावत रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जा रहा है।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–554/वित्त अनुभाग–7/2012, दिनांक 23.07.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड(राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. वित्त अनुभाग–7/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।